

**छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर**

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

क्रमांक 34.98/छ.ग.रो.डे.का.लि./2019/

रायपुर, दिनांक 26/12/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
वन मंडल, बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)

विषय :- लोहारा-रेगांडबरी-जुन्नापानी-चौकी मार्ग (बालोद वन मण्डल) का चौड़ीकरण/उन्नयन निर्माण के लिए प्रभावित वन भूमि रकबा पुनः संशोधन करने के संबंध में। Registration No. FP/CG/Road/24863/2017

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/वं.स.अ.) अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-683/3037 दिनांक 04.12.2019.

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रकरण से संबंधित 07 बिन्दुओं में से छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर से संबंधित बिन्दु क्रमांक I, II, III, IV, V, VI & VII की जानकारी पूर्ण कर लोहारा-रेगांडबरी-जुन्नापानी-चौकी मार्ग वन व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव की 06 प्रतियों में आपकी ओर प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

(एस.सी.आर्य)
26/12

परियोजना प्रबंधक

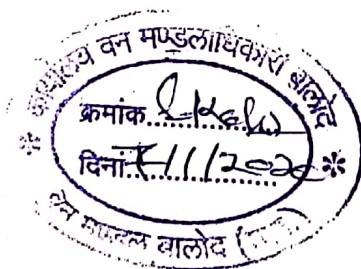
छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक : 26/12/2019

पृ. क्र 34.98/छ.ग.रो.डे.का.लि./2019

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर बालोद जिला-बालोद को सूचनार्थ।



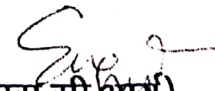
(एस.सी.आर्य)
26/12

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

निम्न 07 बिन्दु का कमियों का संशोधन कर जानकारी

अनु. क्र.	प्रस्ताव में निम्न कमियां	निराकरण
1	2	3
1	C-3 Upload KML में केवल सेटर लाईन दिखाई दे रहा है। पालीगॉन के साथ अपलोड करावं एवं के.एम.एल. फाईल के Attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartmetn no. and area in ha./Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) दर्शित हो ।	संशोधन कर पुनः प्रस्तुत है ।
2	C(iii) Survey of India Toposheet map में यूजर एंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इन्डेक्स एवं नक्शे में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी दें। टोपोशीट में कुल क्षेत्रफल-1.07 हे. ही लेख किया गया है।	संशोधन कर पुनः प्रस्तुत है ।
3	C (iv) Geo-refernced map में यूजर एंजेसी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें। इन्डेक्स एवं नक्शे में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा है यह भी दें।	संशोधन कर पुनः प्रस्तुत है ।
4	D-1 प्रस्तावित कार्य हेतु वन क्षेत्र का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। इसका प्रमाण एवं औचित्य केवल इस कार्य किए बताए। विकल्पों का परीक्षण वन भूमि को न्यूनतम रखते हुए किया जावें। उक्त बिन्दु में दिए गए जटिफिकेशन में मार्ग के क्षेत्रफल का विवरण नहीं एवं न ही उक्त कार्य हेतु अधिकृत किए गए अधिकारी के हस्ताक्षर है।	संशोधन कर पुनः प्रस्तुत है ।
5	अतिरिक्त जानकारी में वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है।	संशोधन कर पुनः प्रस्तुत है ।
6	वन क्षेत्र का विवरण भी नहीं दिया गया है।	संलग्न है।
7	राजस्व वन क्षेत्र है तो कलेक्टर का अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड करें	राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है।


(एस.सी.शर्मा)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)